न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2016/00257

1. फूंदी लाल आत्मज तेज्या जाति माली निवासी ग्राम जाखमूण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. नन्दलाल आत्मज कान्हा जाति माली निवासी ग्राम जाखमूण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
3. प्रभूलाल आत्मज कान्हा जाति माली निवासी ग्राम जाखमूण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
4. रामकिशन आत्मज रतना जाति माली निवासी ग्राम जाखमूण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
5. केसरी लाल आत्मज रतना जाति माली निवासी ग्राम जाखमूण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. मोडू आत्मज घांसी जाति माली निवासी ग्राम जाखमूण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी।
2. जगन्नाथ आत्मज मोडू जाति माली निवासी ग्राम जाखमूण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी।
3. नन्दकिशोर आत्मज कान्हा जाति माली निवासी ग्राम जाखमूण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी।
4. राजस्थान राज्य जरिय तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी ।
5. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय तालेडा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री विनय सक्सेना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बृजनारायण शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 22.10.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम जाखमूण्ड तहसील तालेडा की आराजी कुल 05 किता की रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के शामलाती खाते की है जिसका पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 03 के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करवा कर उक्त भूमि अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाये और प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 03 को 1/2 हिस्से का संयुक्त रूप से खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम पृथक से दर्ज किया जावे तथा वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से से वादीगण को बेदखल नहीं करे, जबरन कब्जा नहीं करें उक्त भूमि को किसी प्रकार से रहन, बेचान एवं अन्यथा खुर्द–बुर्द नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी क्रम 01 व 2 ने परीक्षण न्यायालय में प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि तेजा जी के जीवनकाल के समय से ही वादग्रस्त आराजी पर घासी व लोडक्या खातेदार के रूप में काबिज चले आ रहे थे । तेजा जी के जीवनकाल से ही उक्त आराजी घांसी व लोडक्या के खाते थी । तेजा जी ने अपने जीवनकाल में वादग्रसत आराजी के बाबत् कोई कार्यवाही नहीं की । वादी का वाद अवधि बाधित है । लोडक्या की पत्नी ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की आराजी के बाबत् एक वसीयतनामा मोडू व जगन्नाथ के हक में निष्पादित किया है जिसके आधार पर उक्त भूमि मोडू व जगन्नाथ के हिस्से में आयी है। पंजीकृत दस्जावेज निरस्त कराये बिना राजस्व न्यायालय को वाद सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है । पंजीकृत दस्तावेज सिविल न्यायालय द्वारा ही खारिज किया जा सकता है । अतः वाद वादीगण चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 23.06.2016 के द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.06.2016 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रखने बाबत् अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया और न ही उनको कोई सूचना दी गई । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया है । सीपीसी की पालना नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के खिलाफ ग्राम जाखमूण्ड तहसील तालेडा की वादग्रस्त आराजी के बाबत् अधिकार घोषणा, बंटवारा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का दावा पेश किया था । पत्रावली जवाबदावे में लम्बित थी और परीक्षण न्यायालय ने कैम्प कोर्ट में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में प्रतिवादीगण के द्वारा पेश आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना को स्वीकार कर दावा वादी खारिज किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ था और अपीलान्ट की अनुपस्थिति में दावा खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट ने हक घोषणा का दावा पेश किया है परन्तु दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं । वादग्रस्त आराजी घांसी एवं लोडक्या के खाते में थी । तेजा जी ने अपने जीवनकाल में विवादित आराजी के बाबत् कोई कार्यवाही नहीं की । लोडक्या की पत्नी की वसीयत के आधार पर आराजी मोडू और जगन्नाथ के खाते में आई है । पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करवाये बिना राजस्व न्यायालय में दावा चलने योग्य है । कब्जा वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट वादी का नहीं है उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे कि आराजी पुश्तैनी प्रमाणित हो अथवा उनका कब्जा प्रमाणित हो । परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा वादी खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.06.2016 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में पत्रावली आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के जवाब में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी उपस्थित नहीं हुए हैं और उसी दिन गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करते हुए आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दावा वादी खारिज किया गया है ।

11. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.06.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 08.12.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । 22/10/21

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा